(a) the form and amount of grants, loans and advances asked for by the Governments of Punjab and PEPSU for 1956-57 from the Central Government and the Reserve Bank under a scheme prepared by the State Government in connection with the recommendations made by the Directive Committee of the Reserve Bank of India on the basis of the Rural Credit Survey for financing agriculture and other allied occupations;

(b) whether the Central Government and the Reserve Bank have arrived at a decision in this regard ; and

(c) if so, the nature of the decision?

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh) : (a) No request has so far been received either by the Central Government or by the Reserve Bank of India from the Government of Punjab.

The Government of PEPSU has not asked for any loan from the Reserve Bank of India. The State Government has asked for a loan of Rs. 2 5 lakhs and grant of Rs. 1.55 lakhs from the Central Government.

(b) As regards Punjab, the question does not arise. Regarding PEPSU, the proposals received by the Central Government will be considered by the National Co-operative Development and Warehousing Board as soon as it is established.

(c) Does not arise.

Sardar Iqbal Singh : May I know the number of States that have prepared schemes in this behalf? May I also know whether Government have any scheme which has been formulated to implement this policy which has been approved by this House.

Dr. P. S. Deshmukh : Yes, it is our purpose to implement the policy and the various recommendations of the Rural Credit Survey. We had brought forward a Bill, and that has been passed and most of the States are submitting their schemes under that Act.

Sardar Iqbal Singh : May I know the number and the names of the States that have submitted their schemes to the Central Government, and also the number of schemes approved so far.

Dr. P. S. Deshmukh : The hon. Member has asked the question only in respect of Punjab and PEPSU. So, I have not got the rest of the information. So far as PEPSU is concerned, they have asked for a loan, as I have already for a sum of Rs. 2½ lakhs. I can mention all the details, if you would permit.

Mr. Speker : Not necessary.

Shri R. P. Garg : May I know whether Government are aware that the supply of rural credit for financing agriculture and other allied occupations has not yet started in PEPSU?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain) : The hon. Member would be aware that the Act which has been recently passed provides for the setting up of the co-operative development and warehousing board, which will be responsible for deciding matters of policy and also agricultural finances.

The constitution of that board has been almost finalised. It is shortly going to be set up, and all these questions will primarily be decided by that board.

Shri L. N. Mishra : Do Government get any returns from the State co-operative banks regarding the facilities for advancing rural agricultural credit, and if so, are Government aware that the amounts that were advanced to the various State Co-operative banks for rural credit purposes have not been fully utilised?

Shri A. P. Jain : It may be so in some cases, but I think, on the whole, there is a greater utilisation of those resources.

बीड़ी पर उपकर

*१४१८. **श्रीमती अनुसूयाबाई वोरकर** : क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को बीड़ी पर लगाये गये उपकर से प्रति वर्ष कितनी राशि प्राप्त होती है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान में सभी जगह बीड़ी के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को बराबर मजदूरी दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

अन्न उपमंत्री (श्री शाहिद अली) : (क) बम्बई, कच्छ, पैप्सू, मध्य प्रदेश, भोपाल, त्रिपुरा, जावलकोर-कोचीन और विन्ध्य प्रदेश में ऐसा कोई कर नहीं लिया जाता है। बाकी राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राज्य सरकारों ने विभिन्न स्थानों के लिये अलग अलग वेतन निश्चित किये हैं। देश के सब भागों में रहन-सहन और

जीवन का तरीका एक समान नहीं है। इस वजह से सबके लिये समान वेतन निश्चित करना सम्भव नहीं है।

श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर : क्या मैं जान सकती हूं कि "क" "ख" और "ग" श्रेणी के राज्यों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री आबिद अली : अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेतन निश्चित किये गये हैं। अजमेर में १००० बीड़ी के लिये १रुपया २ आने है। त्रावणकोर-कोचीन में १००० बीड़ी के लिये १ रुपया १४ आने है। भोपाल में १ रुपया से १ रुपया ६ आने है। त्रिपुरा में १००० बीड़ी के लिये १ रुपया १२ आने है। विन्ध्य प्रदेश में १ रुपया २ आने से १ रुपया १४ आने १००० बीड़ी के लिये है। मध्य प्रदेश में......

श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर : जिन कारखानों में ५० से अधिक मजदूर काम करते हैं क्या उनको फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत लाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : मैं मध्य प्रदेश में मजदूरी की दर भी बता रहा था। वहां पर १००० बीड़ी के लिये १ रुपये से १ रुपया ८ आने है।

जिस कारखाने में पावर का उपयोग नहीं होता है और वहां अगर २० कामगार है तो वह कारखाना फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत आ जाता है।

पंडित कृ० ना० मालवीय : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि मजदूरी अलग अलग है लेकिन बीड़ी के भाव सब जगह यकसां है, क्या यह सही है ?

श्री आबिद अली : बीड़ी के भाव भी अलग अलग हैं बीड़ियों के अलग अलग मार्के होते हैं और भाव भी अलग अलग होते हैं। मैं बीड़ी तो नहीं पीता हूं लेकिन ऐसा मुझे मालूम हुआ है।

खाद्यान्नों का निर्यात

*१४१६. **श्री झू० चं० सोधिया** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से ३० जून, १९५६ तक भारत से किन किन खाद्यान्नों का कितनी-कितनी मात्रा में और किन किन देशों को निर्यात हुआ है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध सं० ३३]

श्री झू० चं० सोधिया : इस विवरण से ज्ञात होता है कि गेहूं का आटा, चावल, ज्वार, और मक्का जो कि विदेशों को निर्यात किया गया है उसकी क्वांटिटी अंदाजन ४५,००० टन होती है। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस निर्यात से देश के अन्दर इन खाद्यान्नों की कीमतों पर क्या असर पड़ा है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : इस वर्ष के प्रारम्भ में जब यह देखा गया कि कीमतें कुछ बढ़ रही हैं तो इन चीजों का निर्यात बन्द कर दिया गया। लेकिन इस बात का लिहाज रखा गया कि जिन लोगों ने वादे कर लिये हैं इन चीजों को बाहर भेजने के और जिन्होंने मुआहिदे कर लिए हैं उनको इजाजत दे दी जाये। चावल १९ जनवरी को बाहर भेजना बन्द कर दिया गया था। गेहूं से जो चीजें बनती हैं उनका निर्यात ३१ जनवरी को बन्द कर दिया गया। मक्का ३१ दिसम्बर के बाद बाहर भेजना बन्द कर दिया गया और ज्वार २३ जनवरी के बाद भेजनी बन्द कर दी गई। हो सकता है कि इस निर्यात से कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो लेकिन जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है वह किया गया है।

Shrimati Tarkeshwari Sinha : May I know whether, before allowing foodgrains to go outside the country, Government made any calculations about the buffer stocks available in the country, because the rise in prices is not a matter of today, but they have been rising on from some months past?